संख्या– 174 /VI-I/2005–4(10)2005(खेल)2001

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

खेल अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 21 अक्टूबर, 2005

विषयः– परेड ग्राउण्ड, देहरादून स्थित बहुउद्देशीय हाल के निकट जूडोहाल निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या– 1897/जू0हा0नि0प0/2005–06/दे0दू0, दिनांक 05 सितम्बर, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परेड ग्राउण्ड, देहरादून स्थित बहुउद्देशीय हाल के निकट जूडोहाल के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 में वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन रू0 9.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में इसी सीमा तक व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानें है, स्वीकृत मानें से अधिक व्यय कदापी न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व स्थल की भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि नितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के आधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। धनराशि का आहरण व व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

10– इस संबंध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या– के अंतर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजी परिव्यय(कनश:)–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियन (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–05–स्पोर्टस स्टेडियन का निर्माण (चालू कार्य)–24–वृहत्त निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नानक मद के नामें डाला जायेगा।

NIC 96)

– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–894/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक 18 अक्टूबर, 005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

ज्ञांकन संख्या– /VI-1/2005–4(10)2005(खेल)2001, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–1 कन्सट्रक्शन विंग, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
- वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।